UPGK010053682026

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–2369/2025

दिनेश कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 शिव गुलाम प्रसाद, उम्र–62 वर्ष
निवासी वार्ड नं0–4, मियां का हाता चिल्लूपार कस्बा व थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर।
हाल मुकाम एफ/1 हटियरा रोड स्वामी जी पल्ली जर्दा बगान बागूहाटी राजरहात कोलकाता पश्चिम बंगाल।

.....आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध सं0–327/2024
धारा–420,406,506 भारतीय दण्ड संहिता,
थाना–गोला, जनपद–गोरखपुर।

आदेश

1. अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना–पत्र, आवेदक/अभियुक्त दिनेश कुमार जायसवाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो अपराध सं0–327/2024, धारा–420,406,506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर के प्रकरण में वांछित अभियुक्त है।

2. अभियोजन पक्ष के कथनानुसार सूचनादाता अंजीत कुमार जायसवाल गोला वार्ड सं0–10 का निवासी है। सूचनादाता को आवेदक अभियुक्त दिनेश जायसवाल ने बताया कि मौजा–अतरौरा, तप्पा–चॉदपार आराजी नं0–842 तहसील गोला में उसकी जमीन है जिसका उसने फर्जी खतौनी भी पेश किया उसको जमीन का विक्रय करना है। जिसके एवज में उसने सूचनादाता से बीस लाख रूपये ले लिये। उसके बाद तहसील से पता चला कि इस व्यक्ति का उक्त जमीन से वास्ता नहीं है। जब सूचनादाता ने आवेदक अभियुक्त से पैसा माँगा तो आवेदक अभियुक्त ने जान से मारने की धमकी देने लगा।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी निर्दोष है।प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी को सूचनादाता ने एक साजिश व षडयंत्र के तहत गलत तरीके से प्रश्नगत मुकदमें में संपृक्त करा दिया है। मुकदमें में कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जनसाक्षी नहीं है। प्रार्थी स्थानीय है। रोजी रोटी के सिलसिले में कोलकाता में रहकर व्यवसाय करता है जिससे अपना व परिवार का जीविकोपार्जन करता है। मुकदमें का असल वाक्या यह है कि आराजी नं0–842 मौजा–अतरौरा, तप्पा–चॉदपार, तहसील–गोला, जिला–गोरखपुर के पंजीकृत मालिक व भूमिधर श्रीराम जायसवाल व

कालिका प्रसाद जायसवाल पुत्रगण स्व० बद्री प्रसाद जायसवाल, तारा देवी पत्नी स्व० जगदीश प्रसाद जायसवाल, अलका देवी पत्नी स्व० मेहर प्रसाद जायसवाल, जयन्त, मनीष, जितेन्द्र पुत्रगण जगदीश प्रसाद जायसवाल निवासीगण कस्बा गोला बाजार, तहसील–गोला, जिला–गोरखपुर हाल मुकाम 112/ए आचार्य प्रफुल्ल चन्द रोड कोलकाता के नाम से रही है। जरिये मुख्तारेआम उपरोक्त लोगों की सहमति से श्रीराम जायसवाल ने मुकदमें के सूचनादाता अंजीत जायसवाल पुत्र स्व० चौथी लाल जायसवाल निवासी गोला बाजार, गोरखपुर को आराजी नं0–842 रकबा 0.474 हे० दिनांक 19.02.2022 को कोलकाता में पावर आफ एटार्नी लिखी गयी जिसमें आवेदक अभियुक्त दिनेश जायसवाल बतौर गवाह था। चूँकि पावर आफ एटार्नीकर्ता जगदीश प्रसाद जायसवाल के लड़के आवेदक अभियुक्त के भांजे लगते है इसलिए आवेदक को गवाह बनाया गया था। उक्त आराजी नं0–842 का कुल सौदा दो करोड अन्ठानवे लाख रूपये में तय हुआ था। सूचनादाता अंजीत कुमार जायसवाल जमीन मालिक को उपरोक्त रूपया देने के लिए तैयार हो गये तब जो पावर आफ एटार्नी लिखी गयी थी उसको दिनांक 01.12.2022 को एडिशनल रजिस्ट्रार आफ एसोयोरन्स आफिस आफ द ए०आर०ए०–IV कोलकाता पश्चिम बंगाल के समक्ष पंजीकृत हुई थी। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ पावर आफ एटार्नी की छाया प्रति संलग्न है। आवेदक अभियुक्त के परिवार के अंजीत जायसवाल रिस्तेदार लगते हैं। रिस्तेदार होने के कारण आवेदक ने अंजीत जायसवाल पर विश्वास किया और उसी विश्वास के कारण आराजी नं0–842 में एक भूखण्ड/प्लाट खरीदने के लिए बारह लाख रूपया नगद दिया था। प्रश्नगत मुकदमें में ट्रायल कोर्ट के समक्ष विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 13.01.2026 को संज्ञान लिया जा चुका है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

4. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमीन विक्रय करने के नाम पर धोखाधड़ी करके वादी का कुल 20 लाख रुपये हड़प लिया गया है। कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की सक्रिय भूमिका रही है। तद्नुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. मैंने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6. आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित है एवं आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध जमीन विक्रय करने के नाम पर धोखाधड़ी करके वादी का कुल 20 लाख रुपये हड़पने का अभियोग लगाया गया है। मामले से सम्बन्धित केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि कथित घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा कथित अपराध में अपनी संलिप्तता से इंकार करते हुए उसे इस मामले में मिथ्यारोपित किया जाना कहा गया है। मामले में अब कोई विवेचना शेष नहीं है एवं विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक अभियुक्त दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है एवं कोई साक्ष्य संकलन शेष नहीं है। अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा आवेदकगण/अभियुक्तगण की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त दिनेश कुमार जायसवाल द्वारा मु0–25,000/–(पच्चीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा इतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं एवं निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर उसे दौरान विचारण नियमित अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बन्धपत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगा,
2. आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
3. यदि आवेदक/अभियुक्त के पास पासपोर्ट है, तो वह उसे सम्बन्धित न्यायालय में जमा करायेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों/आरोप विरचित किए जाने, विचारण व निर्णय आदि की तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।
5. आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बन्धपत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगा।
6. आवेदक/अभियुक्त उस अपराध, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेंगा।
7. आवेदक/अभियुक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति का न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मानने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी। इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

दिनांकः 05.06.2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code–UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.06.05 16:17:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court